

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी : लारामती वैष्णव RAS

लोरण

नन्दकिशोर को. उनवान

बनाम

रामनारायण

दावा बाबत 92A-188 RTA

मुकदमा नम्बर:- 102/17

निर्णय दिनांक:- 13/06/18

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी)

लारामती वैष्णव RAS के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिफ्री दी जाती है कि-

आदिश किया जाता है। तदनुसार डिफ्री जारी की जाती है।

खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

लारामती वैष्णव RAS
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
वावत् इजराय हुक्मनामा	0	0	वावत् इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत.	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0